जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर (छ.ग.)

संस्थित दिनांक–26.11.2012
अंतिम तर्क दिनांक–24.06.2024
आदेश दिनांक–28.06.2024

परिवाद प्रकरण क्रमांक–CC/2013/162

1. अरविंद भाई सोनी, उम्र 61 वर्ष,
आत्मज स्व.जसराज भाई सोनी
2. श्रीमती हीना सोनी, उम्र 31 वर्ष,
पति स्व.हिमांशु सोनी
3. मृदुल सोनी उम्र 4 वर्ष,
पुत्र स्व.हिमांशु सोनी
द्वारा–नैसर्गिक संरक्षक (वली हैसियत),
मां श्रीमती हीना सोनी,
पति, स्व.हिमांशु सोनी,
उक्त सभी निवासी–प्रोफेसर कॉलोनी,
रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

(द्वारा श्री भूपेन्द्र जैन, अधिवक्ता)
...... **परिवादीगण**

विरूद्ध

1. सुयश हास्पिटल
2. डॉ.मनोज लाहोटी
3. डॉ.नितीन गोयल
4. डॉ.गगन झंवर
5. डॉ.मोहन अग्रवाल
उक्त सभी का पता–सुयश हास्पिटल,
कोटा गुढ़ियारी रोड, कोटा, रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

(द्वारा–श्री राजेश भावनानी, अधिवक्ता)
.... **विरूद्ध पक्षकारगण**

समक्ष :
श्री डाकेश्वर प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
श्रीमती निरूपमा प्रधान, सदस्य
श्री अनिल कुमार अग्निहोत्री, सदस्य

अंतिम तर्क में उपस्थित –
परिवादीगण की ओर से श्री भूपेन्द्र जैन, अधिवक्ता।
विरूद्ध पक्षकारगण की ओर से श्री राजेश भावनानी, अधिवक्ता।

–:: आदेश ::–

(द्वारा :– डाकेश्वर प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष)

1. परिवादीगण ने सेवा में निम्नता एवं व्यवसायिक कदाचरण के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा–12 (अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा–35) के अंतर्गत यह परिवाद विरूद्ध पक्षकारगण से सेवा में निम्नता हेतु

क्षतिपूर्ति राशि रूपये 15,00,000/– (पंद्रह लाख रूपये मात्र), परिवादीगण को विरूद्ध पक्षकारगण से बार–बार संपर्क करने व हुए कष्ट, पीड़ा हेतु एवं सेवा में निम्नता हेतु अतिरिक्त हर्जाना के रूप में रूपये 3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र), अधिवक्ता शुल्क एवं वादव्यय के रूप में रूपये 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) एवं अन्य अनुतोष दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किये हैं।

2. **परिवाद** :–

परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में यह है कि परिवादी क्र.1 के पुत्र एवं परिवादी क्र.2 के पति व परिवादी क्र.3 के पिता हिमांशु सोनी की वर्ष 2008 में वाहन दुर्घटना होने के बाद घायल होने से पैरों में सुन्न की स्थिति निर्मित होती थी तथा वह सहयोगी के माध्यम से अपने सुनारी के व्यवसाय का संचालन करता था। हिमांशु सोनी को पेशाब नली में परेशानी होने पर विरूद्ध पक्षकार क्र.4 से जांच कराने के पश्चात् उनके निर्देश पर विरूद्ध पक्षकार क्र.1 हास्पिटल में दिनांक 18.12.2010 को भर्ती हुआ। परिवादीगण ने चिकित्सकों से हिमांशु सोनी के पैरों की स्थिति स्पष्ट कर दी थी तथा उक्त कमजोरी के कारण आपरेशन सहन होगा या नहीं यह पूछने पर विरूद्ध पक्षकार क्र.2 व 4 ने स्पष्ट कथन किया कि मरीज आपरेशन हेतु नार्मल है तथा कोई रिस्क नहीं हैं। हिमांशु सोनी के पेशाब, खून आदि की विस्तृत परीक्षण किया गया तथा पैथालाजी रिपोर्ट रेडियोलाजी रिपोर्ट, लैब आदि परीक्षण के बाद स्पष्ट हुआ कि हिमांशु सोनी को किसी भी प्रकार का गंभीर रोग ब्लडप्रेशर, शुगर, किडनी आदि की बीमारी नहीं है। तब हिमांशु सोनी के पेशाब नली (यूरीनप्लेस) का लेजर ऑपरेशन व ईलाज विरूद्ध पक्षकार क्र.1 अॅस्पताल में विरूद्ध पक्षकार क्र.3 ने विरूद्ध पक्षकार क्र.4 के सहयोग से किया । हिमांशु सोनी को दिनांक 18.12.2010 से दिनांक 24.12.2010 तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। आपरेशन के दूसरे दिन ही हिमांशु सोनी को यूरिन प्लेस में दर्द होने लगा तब संबंधित चिकित्सक विरूद्ध पक्षकार क्र.3 व 4 से एवं विरूद्ध पक्षकार क्र.2 से चर्चा की गई तब उन्होंने पुनः हिमांशु की जांच परीक्षण कराया तथा कुछ दवाईयां दी व दिनांक 24.12.2010 को शाम को यह कहकर डिस्चार्ज कर दिया कि मरीज ठीक है। किन्तु दिनांक 25.12.2010 को सुबह से ऑपरेशन वाले भाग में दर्द बढ़ता गया व बेचैनी बढ़ने लगी। परिवादी क्र.1 ने विरूद्ध पक्षकार क्र.3 व 4 से टेलीफोनिक चर्चा की जो उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर होना बताया। दिनांक 26.12.2010 की शात 7.00 बजे मरीज हिमांशु सोनी को असहनीय पीड़ा ऑपरेशन वाले भाग में होने लगा तथा वह 2–3 बार बेहोश जैसा हो गया। मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे

तत्काल विरूद्ध पक्षकार क्र.1 के अस्पताल ले जाया गया। परिवादी क्र.1 ने रास्ते में विरूद्ध पक्षकार क्र.2 व 4 को खबर दी तथा रिसेप्शन में बैठे व्यक्ति ने भी विरूद्ध पक्षकार क्र. 2 व 4 से संपर्क किया किन्तु वे नहीं आए। अस्पताल में विरूद्ध पक्षकार क्र.5 उपस्थित थे। मरीज को देख उन्हें आई.सी.यू. में लाया गया। विरूद्ध पक्षकार क्र.5 ने परिवादी क्र.1 की उपस्थिति में इंजेक्शन लगाए व मरीज का परीक्षण करने लगे। तत्पश्चात् मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। तब परिवादी क्र.1 ने विरूद्ध पक्षकार क्र.5 से कहा कि जिस डाक्टर ने मरीज का ईलाज किया है उनसे बात कर लीजिए उन्हें बुला लीजिए। इस पर विरूद्ध पक्षकार क्र.5 गुस्से में आ गये और कहा कि आप आई.सी.यू. से बाहर जाओ या मरीज को ले जाओ, अन्य कोई डाक्टर नहीं आएंगे। तब परिवादी क्र.1 ने विरूद्ध पक्षकार क्र.2 व 4 को बार–बार फोन किया मगर उनके नहीं आने के कारण तथा समय पर उचित ईलाज नहीं मिलने के कारण व गलत इंजेक्शन लगाने के कारण व त्रुटिपूर्ण ईलाज आदि के कारण हिमांशु सोनी की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किडनी फेल होने का उल्लेख इस बात को सिद्ध करता है कि विरूद्ध पक्षकारगण ने गलत ईलाज किया जिसके परिणामस्वरूप किडनी फेल हो गई। विरूद्ध पक्षकारगण ने कमजोर मरीज का आपरेशन किया व सहन न कर सकने की स्थिति के बावजूद लेजर आपरेशन कर सेवा में निम्नता की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किडनी फेल होने के कारण हृदयगति रूकने से हिमांशु की मृत्यु हुई जबकि सुयश अस्पताल के रेडियोलाजी विभाग की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2010 के अनुसार किडनी नार्मल थी। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण ईलाज के कारण मरीज की मृत्यु हुई है, जो कि विशेषज्ञों ने भी इंटरनेट द्वारा स्पष्ट किया है। विरूद्ध पक्षकारगण ने कमजोर मरीज का आपरेशन करने के उपरांत उसे उचित विश्राम ना कराते हुए दर्द की स्थिति में दिनांक 24.12.2010 को डिस्चार्ज कर चिकित्सकीय सेवा में कमी की है। विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा मरीज के असहनीय पीड़ा की जानकारी देने के बावजूद दिनांक 25.12.2010 एवं 26.12.2010 को ईलाज ना देना व उसकी जांच परीक्षण करने नहीं आना चिकित्सकीय उपेक्षा को सिद्ध करता है। दिनांक 26.12.2010 को विरूद्ध पक्षकार क्र.3 व 4 से चर्चा किये बिना मात्र एम.बी.बी.एस. चिकित्सक विरूद्ध पक्षकार क्र.5 ने मनमाना व त्रुटिपूर्ण इंजेक्शन लगाया जिसके कारण हिमांशु की मृत्यु कारित हुई, जो कि चिकित्सकीय लापरवाही को सिद्ध करता है। एनेस्थीसिया विवरण, चिकित्सकीय विवरण एवं दस्तावेजों की मांग के बावजूद विधिक सूचना पत्र दिनांक 25.09.2012 में मांगे किये जानकारी एवं दस्तावेज प्रदान न करना व जवाब न देना अनुचित व्यापार व्यवहार, सेवा में निम्नता एवं चिकित्सकीय लापरवाही को सिद्ध करता है। उपरोक्तानुसार परिवादीगण

ने यह परिवाद पेश कर विरूद्ध पक्षकारगण से कंडिका–1 के अनुसार याचित अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना कर परिवाद पत्र में किये अभिकथन के समर्थन में परिवादी क्र.1 अरविंद भाई सोनी ने स्वयं का शपथपत्र तथा सूची अनुसार दस्तावेजों की छायाप्रतिलिपियां पेश किया है ।

3. **लिखित वृत्तांत (विरूद्ध पक्षकारगण) :–**

विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा प्रारंभिक आपत्ति सहित परिवाद पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए लिखित वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। उक्त लिखित वृत्तांत में अभिलिखित प्रारंभिक आपत्ति के अनुसार परिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत परिवाद जिला आयोग के समक्ष पोषणीय नहीं हैं क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायदृष्टांत मार्टिन डिसूजा विरूद्ध मो.इशहाक खान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जब तक मेडिकल बोर्ड के द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाये कि विरूद्ध पक्षकारगण के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार ईलाज नहीं किया गया है तब तक कोई भी परिवाद जिला आयोग के समक्ष पोषणीय नहीं होगा। परिवादीगण के द्वारा ऐसी कोई भी रिपोर्ट जिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादीगण के द्वारा जो विवाद बताया जा रहा है उसमें विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी जो कि समरी प्रोसीजर में संभव नहीं हैं। विरूद्ध पक्षकारगण के द्वारा डॉक्टर प्रोफेशनल इंडेमिनिटी पॉलिसी, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ली गई है। परिवादीगण के द्वारा बीमा कंपनी को पक्षकार न बनाये जाने के कारण पक्षकारों के कुसंयोजना की वजह से परिवाद पोषणीय नहीं हैं। परिवाद समय बाधित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा परिवाद के कथनों को अस्वीकार करते हुए इस आशय का लिखित वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है कि हिमांशु सोनी को सिर की चोट के कारण Lower Limbs Paralysis था। भर्ती के वक्त उसे दोनों पैरों में सूजन थी। उसके ब्लड में Creatrire 2.3 था और K+:5.96 था जो कि गुर्दे को खराब होना दर्शाता है, इसलिए उसे पैरालिसिस के साथ गुर्दे की बीमारी भी थी। विरूद्ध पक्षकारगण ईलाज से संबंधित संपूर्ण बेडहेड टिकट प्रस्तुत कर रहा है जिसमें हिमांशु सोनी को दिये गये ईलाज का विस्तृत विवरण है तथा संपूर्ण जांचों के पश्चात् उसका ईलाज किया गया। परिवादीगण को स्पष्ट रूप से आपरेशन के बारे में बताया गया था और उससे होने वाली जटिलताओं के बारे में बताया गया था। परिवादीगण के द्वारा सहमति दिये जाने के पश्चात् उसका आपरेशन किया गया था। मरीज को पैरालिसिस था और उसे जांच के

दौरान कुछ भी एनेस्थिसिया की जरूरत नहीं थी क्योंकि पेशाब की नली भी उस पेरालिसिस के असर से कुछ हद तक सुन्न थी। आपरेशन L.A. में कर दिया गया था और उन दवाओं का असर कुछ घंटे ही रहता है। मरीज के द्वारा दर्द का होना नहीं बताया गया था। मरीज दिनांक 18.12.2010 को भर्ती हुआ था और स्वस्थ होने पर उसे दिनांक 24.12.2010 को छुट्टी दी गई थी, उस वक्त मरीज की स्थिति सही थी। विरूद्ध पक्षकारगण को सूचना प्राप्त हुई थी कि उसे तकलीफ है तब उसे अस्पताल आने के लिए कहा गया था। दिनांक 25–26 की सुबह और दोपहर में संपर्क होने पर उन्होंने अस्पताल जाने की सलाह दी परंतु रात 7.00 बजे के बाद उसे अस्पताल लाया गया और अस्पताल आने पर वह मृत था। इस वजह से उसे कोई भी इंजेक्शन लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह विशेष रूप से अस्वीकार है कि विरूद्ध पक्षकार क्र.5 के द्वारा उनका ईलाज किया गया और इंजेक्शन लगाया गया। परिवादीगण के द्वारा झूठी कहानी गढ़ी गई है क्योंकि मरीज को मृत स्थिति में लाया गया था। मृतक के रिश्तेदारों को जैसे ही उसके मृत होने की बात बताई गई उन्होंने डॉक्टरों से गालीगलौच शुरू कर दी और डॉक्टर को मारने लगे। डॉ.मोहन अग्रवाल को कॉलर पकड़कर घसीटा। रिसेप्शन के टेबल और फूलदान को तोड़ दिया और हंगामा करने लगे। परिवादीगण के इस कृत्य का सी.सी. टी.वी. में रिकार्डिंग है। उनकी इन हरकतों का अस्पताल प्रबंधन ने उनके खिलाफ थाना सरस्वतीनगर में केस दर्ज किया तथा सी.डी. वहां पर जमा किया गया। विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा किसी भी तरह से कोई सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा कोई लापरवाहीपूर्वक कृत्य किया गया है। परिवादीगण द्वारा असत्य आधारों पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अतः पेश परिवाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना कर डॉ. नितिन गोयल, डॉ.गगन झंवर, डॉ.मोहन अग्रवाल, डॉ.मनोज लाहोटी ने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र पेश किया है ।

4. परिवादीगण की ओर से अपने मामले के समर्थन में आयकर आईडी (पैन कार्ड) अनुलग्नक सी–1, 06 रसीदें (01 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–2, मेडिकल बिल (02 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–3, रेडियोलॉजी रिपोर्ट दिनांक–18.12.2010 अनुलग्नक सी–4, लैब–1 की पैथालॉजी रिपोर्ट (05 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–5, मेडिकल बिल (01 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–6, लैब व पैथो रिपोर्ट दिनांक–19.12.2010 (01 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–7, पैथो रिपोर्ट दिनांक–20.12.2010 (02 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–8, मेडिकल बिल व रसीदें दिनांक–20.12.10 (05 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–9, लैब वन का रिपोर्ट (02 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–10, मेडिकल बिल (05 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–11, गिरफ्तारी वारंट एवं

पुलिस जांच, शव परीक्षण संबधित दस्तावेज, बयान (14 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–12, पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक–25.09.12 (04 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–13, साक्षी बयान की प्रति दिनांक–21.06.2012 (02 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–14, पोस्टल रसीद व प्राप्ति अभिस्वीकृति (03 पृष्ठ) अनुलग्नक सी–15 पेश की गई है, जो सभी छायाप्रतिलिपियां हैं। विरूद्ध पक्षकारगण की ओर से निम्न दस्तावेज चेक आऊट स्लिप अनुलग्नक ओपी–1, एडमिशन एंड डिस्चार्ज समरी अनुलग्नक ओपी–2, पेसेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट (08 पृष्ठ) अनुलग्नक ओपी–3, ओ.टी.बुकिंग स्लिप अनुलग्नक ओपी–4, ओ.टी.क्लीयरेंस स्लीप अनुलग्नक ओपी–5, सहमति पत्र अनुलग्नक ओपी–6, आपरेटिव आर्डर अनुलग्नक ओपी–7, लैब रिपोर्ट अनुलग्नक ओपी–8, मेडिकेशन चार्ट (02 पृष्ठ)अनुलग्नक ओपी–9, इन्टेक आउटपुट रिकार्ड अनुलग्नक ओपी–10, मेडिकेशन चार्ट अनुलग्नक ओपी–11, चार्ट ऑफ आई.सी.यू. रिपोर्ट (03 पृष्ठ) अनुलग्नक ओपी–12 पेश किया गया है।

5. उभयपक्ष की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने अपने अभिवचनों के अनुरूप ही तर्क प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

6. हमारे समक्ष उभयपक्ष के अभिकथनों, शपथपत्र, दस्तावेजों एवं तर्क के आधार पर प्रथम विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि – **(1) क्या विरूद्ध पक्षकारगण ने मृतक हिमांशु सोनी को दी गई चिकित्सा सेवा में निम्नता एवं अनुचित व्यापार–व्यवहार किया है ?**

परिवादीगण का संक्षिप्त तर्क यह है कि परिवादीगण मृतक हिमांशु सोनी के विधिक वारिसान है। हिमांशु सोनी वर्ष 2008 में दुर्घटनाग्रस्त होने से उसके पैरों में सुन्न की स्थिति निर्मित हो गयी थी किन्तु वह अपने सहयोगी के माध्यम से अपने सुनारी के व्यवसाय का संचालन व देखरेख करता रहा था। वर्ष 2010 में उसे पेशाब नली में परेशानी होने पर विरूद्ध पक्षकार क्र.4 से जांच कराने के पश्चात् उनके निर्देश पर विरूद्ध पक्षकार क्र.1 के हास्पिटल में दिनांक 18.12.2010 को भर्ती हुआ। जहां उसकी विस्तृत जांच के पश्चात् ऑपरेशन किया गया । हिमांशु सोनी दिनांक 18.12.2010 से दिनांक 24.12.2010 तक विरूद्ध पक्षकारगण के अस्पताल में भर्ती रहा। आपरेशन दिनांक–23.12.2010 के दूसरे दिन ही हिमांशु सोनी को यूरिन प्लेस में दर्द होने लगा था। तब संबंधित चिकित्सक विरूद्ध पक्षकार क्र.3 व 4 से एवं विरूद्ध पक्षकार क्र.2 से चर्चा उपरांत पुनः हिमांशु सोनी की जांच परीक्षण किया गया तथा कुछ दवाईयां देकर दिनांक 24.12.2010 को शाम को यह कहकर डिस्चार्ज कर दिया कि

मरीज की स्थिति ठीक है। किन्तु डिरचार्ज होने के पश्चात् अगले दिन दिनांक 25.12.2010 को सुबह से हिमांशु सोनी को ऑपरेशन वाले भाग में असहनीय दर्द होने लगा। तब परिवादी क्र.1 ने विरूद्ध पक्षकार क्र.3 व 4 से टेलीफोन के द्वारा संपर्क स्थापित किया तब उनके द्वारा बताया गया कि वह हॉस्पिटल से बाहर है। दिनांक 26.12.2010 की शाम 7.00 बजे मरीज हिमांशु सोनी को ऑपरेशन वाले भाग में असहनीय पीड़ा होने लगा तथा उसे 2–3 बार बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो गई। हिमांशु सोनी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल विरूद्ध पक्षकार क्र.1 के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आई.सी.यू. में भर्ती किया गया, उस समय भी हिमांशु सोनी बार–बार कह रहा था कि ऑपरेशन वाले भाग में असहनीय दर्द हो रहा है ।

उस समय विरूद्ध पक्षकार क्र.1 के अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर विरूद्ध पक्षकार क्र.5 ने हिमांशु सोनी को परिवादी क्र.1 की उपस्थिति में इंजेक्शन लगाया एवं उसका परीक्षण करने लगा। उक्त परीक्षण के दौरान आई.सी.यू. में विरूद्ध पक्षकार संस्थान के अन्य डॉक्टर योगेश देवांगन भी अंदर आये, परीक्षण के दौरान हिमांशु जीवित थे । परिवादी क्र.1 ने विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–2 से 4 को बार–बार फोन किया, क्योंकि उनके द्वारा ही हिमांशु सोनी का आपरेशन किया गया था किन्तु विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–2 से 4 हिमांशु सोनी का ईलाज करने नहीं आये। जिसके कारण समय पर उचित ईलाज नहीं मिलने के कारण एवं विरूद्ध पक्षकार क्र.5 द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हिमांशु सोनी की मृत्यु हो गई। विरूद्ध पक्षकारगण का उक्त कृत्य अनुचित व्यापार व्यवहार, सेवा में निम्नता एवं चिकित्सकीय लापरवाही की श्रेणी में आता है । परिवादीगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्याय दृष्टांतों का अवलंबन लिया है :–

1. 2010 SAR (Civil) 550 Supreme Court, V.Kishan Rao Vs. Nikhil super Speciality Hospital & Anr.
2. 2023(1) CGLJ 26 (CCC) Dr. H.N.Mehata Vs. Rakesh Kumar, Appeal No. FA/2020/236 Order dtd. 21.11.2022
3. 2024 (2) CPR 12 (SC) Supreme Court of India, Najrul Seikh Vs. Dr.Sumit Banerjee and Anr.

विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा परिवादी के तर्को का खण्डन करते हुए तर्क किया है कि हिमांशु सोनी के सिर में चोट लगने के कारण Lower Limbs Paralysis था। भर्ती के वक्त उसके दोनों पैरों में सूजन थी। उसके ब्लड में Creatinine 2.3 था और K+:5.96 था जो गुर्दे के खराब होने को दर्शाता है, इसलिए हिमांशु सोनी को पैरालिसिस के

साथ–साथ गुर्दे की भी बीमारी थी। परिवादीगण को आपरेशन के पूर्व स्पष्ट रूप से आपरेशन की जटिलताओं के बारे में समझाया गया था। परिवादीगण के द्वारा सहमति दिये जाने के पश्चात् ही हिमांशु सोनी का आपरेशन किया गया था। हिमांशु सोनी दिनांक 18.12.2010 को भर्ती हुआ था और स्वस्थ होने पर उसे दिनांक 24.12.2010 को छुट्टी दी गई थी ।

विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा परिवादी के तर्कों का खण्डन करते हुए यह भी तर्क किया गया कि दिनांक 25–26.12.2010 की सुबह और दोपहर को परिवादी क्र.1 द्वारा संपर्क करने पर उन्होंने अस्पताल जाने की सलाह दी थी, परंतु हिमांशु सोनी को 26.12.2010 को शाम 7.00 बजे के बाद अस्पताल लाया गया उस समय हिमांशु सोनी मृत अवस्था में था। विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा परिवादीगण के इस कथन का स्पष्ट एवं विशेष रूप खण्डन किया है कि हिमांशु सोनी को जब दिनांक–26.12.2010 को विरूद्ध पक्षकारगण के अस्पताल लाया गया, तब वह जीवित अवस्था में था एवं विरूद्ध पक्षकार क्र.5 द्वारा इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया गया । विरूद्ध पक्षकारगण ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो सेवा में कमी या चिकित्सकीय लापरवाही की श्रेणी में आता हो। विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्याय दृष्टांतों का अवलंबन लिया है :–

1. 2018(4) CPR 738 (SC) Dr. S.K.Jhunjhunwala Vs. Mrs.Dhanwanti Kumar & anr.
2. 2018(4) CPR 835 (NC), State of Gujrat and ors. Vs. Premadevi Vidyadhar Tiwri and anr.
3. Supreme Court of India, Marin F.D'Souza Vs. Mohd.Ishfaq
4. Appeal (Crl.)144-145 of 2004 (SC) Jacob Mathew Vs. State of Punjab & anr. Order dated 05-08-2005
5. CC/2015/04 (C.G.State Consumer Commission) Smt.Durgesh Nandini Dubey & Ors. Vs. Chandulal Chandrakar Memorial Hospital Bhilai & ors. Order dated 24-08-2017.
6. CC/2015/06 (C.G.State Consumer Commission) Smt. Savita Sharma Vs. Shreed Narayana Hospital & ors. Order dated 30-03-2017.
7. Criminal Appeal No. 1432/2013 Supreme Court of India, Dr. P.B.Desai Vs. State of Maharashtra & anr. Order dated 13.09.2013.
8. Civil Appeal No. 1385 of 2001, Supreme Court of India, Kusum Sharma & ors. Vs. Batra Hospital & Medical Research Centre & ors., Order dated 10.02.2010

9. Civil Appeal No. 1658of 2010 (SC), Bombay Hospital & Medical Research Center Vs. Asha Jaiswal & others.

हमारे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथपत्र का अवलोकन किया गया । परिवादीगण का मुख्य तर्क यह है कि हिमांशु सोनी का ऑपरेशन सही एवं उचित तरीके से नहीं किया गया जिसके कारण मृतक हिमांशु सोनी के आपरेशन वाले भाग पर दर्द बना रहा। उसके बावजूद हिमांशु सोनी को दिनांक–24.12.2010 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया । हिमांशु सोनी के ऑपरेशन वाले स्थान/यूरिन प्लेस में लगातार दर्द बना रहा एवं उसका दर्द धीरे–धीरे बढ़ता गया । दिनांक–25.12.2010 को विरूद्ध पक्ष क्रमांक–2 से उक्त संबंध में लगातार बात करने का प्रयास किया गया, किंतु उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। दर्द अत्यधिक बढ़ जाने के कारण हिमांशु सोनी को दिनांक–26.12.2010 को विरूद्ध पक्षकार के हॉस्पिटल लाया गया, उस समय हिमांशु सोनी का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित नहीं थे। हिमांशु सोनी को जीवित अवस्था में विरूद्ध पक्षकारगण के हास्पिटल लाया गया था। तत्पश्चात् विरूद्ध पक्षकार क्र.5 द्वारा ईलाज की प्रक्रिया में इंजेक्शन लगाया गया, जिसके कारण हिमांशु सोनी की मृत्यु हो गयी । हिमांशु सोनी के मृत्यु के उपरांत सामाजिक रीति–रिवाज व संस्कारों के पश्चात् परिवादीगण द्वारा बीमा व बैंक संबंधी आवश्यकताओं हेतु ईलाज संबंधी दस्तावेजों की मांग विरूद्ध पक्षकारगण से की गई, परंतु विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा ईलाज संबंधित दस्तावेज परिवादीगण को प्रदान नहीं किये गये ।

उसके पश्चात् परिवादीगण द्वारा निम्न दस्तावेज की मांग विधिक सूचना–पत्र के माध्यम से भी किया गया था जो परिवाद पत्र के कंडिका–12 में उल्लेखित है एवं निम्नानुसार है :–

1. डिस्चार्ज टिकट
2. उपचार से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं बिल व रसीद , चिकित्सकों को कितनी राशि दी गयी उसका विवरण
3. ऑपरेशन नोटस एवं विवरण किस स्थिति एवं परीक्षण के उपरांत किस पद्धति से मरीज का ऑपरेशन किया गया ।
4. यदि हिमांशु को एनेस्थीसिया दिया गया तो उसकी दवा एवं मात्रा तथा चिकित्सक का विवरण देंवे व किस भाग में एनेस्थीसिया दिया गया एवं

किन–किन चिकित्सकों डाइटिशियन आदि ने इलाज जांच व सेवा प्रदान की है ।

5. यह भी स्पष्ट करें कि क्या किडनी फेल होने से हृदयगति रूकती है , किस प्रकार एवं लेजर ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी जबकि मरीज का शरीर कमजोर था ।
6. बेडहेड टिकट की प्रति एवं क्या–क्या उपचार विधि एवं दवाएं दी गई ।
7. दिनांक–26.12.2010 को ऑपरेशन भाग में अत्यंत दर्द के बावजूद ऑपरेशनकर्ता चिकित्सक को क्यों नहीं बुलाया गया । डयूटी डाक्टर ने गंभीर स्थिति देख वरिष्ठ डाक्टरों को बुलाया क्यों नहीं ।
8. जो उपचार हिमांशु का किया गया उक्त उपचार का विवरण एवं दी गई दवाओं इंजेक्शन औषधि का नाम उनका उपयोग व किस इलाज हेतु दवा दी जाती है का विवरण । हिमांशु का आईपीनंबर 3436 था से संबंधित चिकित्सकीय दस्तावेज एवं दिनांक–18.12.2010 से 24.12.2010 तक अस्पताल के कर्मचारी व चिकित्सक का हाजरी रजिस्टर उपस्थिति पत्रक
9. डॉ मोहन अग्रवाल ने दिनांक–26.12.2010 को कौन सा इंजेक्शन लगाया उक्त डॉक्टर की विशेषता व योग्यता बताएं ।

परिवादीगण के उक्त तर्क के खण्डन में विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि उनके द्वारा समुचित परीक्षण जांच के उपरांत हिमांशु सोनी का ऑपरेशन किया गया तथा ऑपरेशन की जटिलताएं परिवादीगण को समझा दिया गया था तथा लिखित में सहमति–पत्र अनुलग्नक ओपी–6 लिया गया था। इसके पश्चात् ऑपरेशन किया गया तथा पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात् दिनांक–24.12.2010 को हिमांशु सोनी को डिस्चार्ज किया गया । विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा अपने जवाब दावा के कंडिका–4 में कथन किया गया है कि ईलाज से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज, बेड हेड टिकट प्रस्तुत किया जा रहा है। विरूद्ध पक्ष क्रमांक–3 डॉ नितिन गोयल, विरूद्ध पक्षकार क्र.4, 5 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र की कंडिका–8 के प्रथम लाईन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा ईलाज से संबंधित संपूर्ण बेडहेड टिकट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विरतृत विवरण है कि संपूर्ण जांच के पश्चात् हिमांशु सोनी का आपरेशन व ईलाज किया गया है, परन्तु इस आयोग आदेश पत्रिका दिनांक–30.04.2014 एवं 16.05.2014 के अनुसार विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा बेड हेड टिकट प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग किया है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा ईलाज से संबंधित दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा

विरूद्ध पक्षकारगण ने उक्त वर्णित दस्तावेज परिवादीगण को प्रदान नहीं किया गया है। उसके पश्चात् परिवादीगण ने परिवाद के विचारण के दरम्यान आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश–11, नियम–12 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर समस्त दस्तावेज के साथ–साथ सीसीटीवी रिकार्डिंग एवं प्रोफेशनल इंडेमिनिटी पॉलिसी इत्यादि विरूद्ध पक्षकारगण से प्रस्तुत कराये जाने बाबत् आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, परंतु विरूद्ध पक्षकारगण उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं । विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश–11, नियम–12, व्य.प्र.सं.पर आदेश पारित होने के पश्चात् आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि सी.सी.टी.वी.फुटेज, सरस्वती नगर थाना में प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्तानुसार विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा हिमांशु सोनी का जो भी ईलाज किया गया है, उसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना कर अपने कृत्य को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है । हिमांशु सोनी के ऑपरेशन व ईलाज से संबंधित सही तथ्यों की जांच के लिए चिकित्सीय दस्तावेज जिसके तहत बेडहेड व संपूर्ण ईलाज का दस्तावेज, डिस्चार्ज टिकट आदि अत्यंत आवश्यक दस्तावेज है, परिवादीगण द्वारा बार–बार उक्त दस्तावेज मांगने पर भी विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया । परिवादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि चिकित्सा संबंधी दस्तावेजों की मांग करने पर विरूद्ध पक्षकारगण ने परिवादीगण को यह कहा कि "तुम स्टाम्प में लिखकर दो कि हिमांशु की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई तथा अस्पताल का या डॉक्टर का दोष नहीं है, तब दस्तावेज प्रदान किया जायेगा।" विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा अंतिम तर्क के दरम्यान दस्तावेज प्रस्तुत करना स्वमेव सिद्ध करता है कि विरूद्ध पक्षकारगण के पास चिकित्सा से संबंधित समस्त दस्तावेज थे किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर उक्त दस्तावेजों को परिवादीगण को प्रदान नहीं किया गया, जबकि परिवादीगण ने विरूद्ध पक्षकारगण से अनुलग्नक सी–13 के माध्यम से उक्त दस्तावेजों को प्रदान करने की मांग की गई है। उपरोक्तानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विरूद्ध पक्षकारगण हिमांशु सोनी के ईलाज व ऑपरेशन के तथ्यों को छिपाना चाहते हैं ।

परिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है कि हिमांशु सोनी को ब्लड प्रेशर, मधुमेह (शुगर), हृदय रोग, किडनी रोड आदि कोई भी अति गंभीर बीमारी नहीं थी । परिवादी ने जांच रिपोर्ट अनुलग्नक सी–5 व सी–7 का अवलंबन लेते हुए तर्क किया है कि हिमांशु की शारीरिक अवस्था उतनी खराब नहीं थी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाये तथा यह भी तर्क किया है कि यदि ऑपरेशन की परिस्थिति नहीं थी तो हिमांशु सोनी का ऑपरेशन क्यों किया गया। इस तरह से विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा हिमांशु सोनी के

ईलाज में लापरवाही बरती गई। परंतु हम परिवादी के उक्त तर्कों से सहमत नहीं है क्योंकि परिवादीगण उक्त विषय में कोई विशेषज्ञ नहीं हैं और ना ही परिवादीगण ने अपने तर्क के समर्थन में कोई medical theory या विषय विशेषज्ञ प्रतिवेदन/अभिमत प्रस्तुत किया है ।

परिवादीगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि हिमांशु को ऑपरेशन हेतु दिनांक–18.12.2010 को भर्ती किया तथा दिनांक–23.12.2010 को ऑपरेशन करने के बाद दिनांक–24.12.2010 को डिस्चार्ज कर दिया गया । परिवादी ने तर्क किया है कि विरूद्ध पक्षकारगण ने कहा था कि ऑपरेशन में एनेस्थिसिया की आवश्यकता नहीं है। परिवादी के उक्त कथन का समर्थन विरूद्ध पक्षकारगण के जवाबदावा के पैरा–6 से होता है जिसमें उन्होंने अभिकथन किया है कि "मरीज को पैरालिसीस था और उसे जांच के दौरान कुछ भी एनिस्थिसिया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पेशाब की नली भी उक्त पेरालिसीस के असर से कुछ हद तक सुन्न थी। इस तरह से विरूद्ध पक्षकारगण के अभिकथन अनुसार बिना एनेस्थीसिया दिये हिमांशु सोनी का आपरेशन L.A. में किया गया और उन दवाओं का असर कुछ घंटे ही रहता है, फिर ठीक हो जायेगा। मरीज दिनांक–18.12.2010 को भर्ती हुआ था तथा दिनांक–24.12.2010 को छुटटी दी गई थी, छुट्टी देते वक्त मरीज की स्थिति ठीक थी ।" उपरोक्तानुसार विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा मरीज को एनिस्थीसिया नहीं दिया गया । परंतु जवाबदावा में अभिकथित उक्त कथन के विपरीत विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–3 एवं 4 डॉ गगन झंवर व डॉ नितिन गोयल द्वारा प्रश्नावली के जवाब के कंडिका–6 में यह कथन किया गया है कि :–

> **"प्रश्न क्रमांक–6** "मरीज का ऑपरेशन कब हुआ (दिनांक व समय) क्या मरीज के सभी रिपोर्ट ऑपरेशन करने के समय सामान्य थे ?
>
> **उत्तर** – "मरीज का दिनांक–23.12.2010 को एनेस्थीसिया देखभाल के तहत ऑपरेशन किया गया था । सारी रक्त रिपोर्ट ऑपरेशन के लिए बिल्कुल अनुकूल थी।"

उपरोक्तानुसार विरूद्ध पक्षकार क्र.3 व 4 द्वारा हिमांशु सोनी को एनेस्थीसिया दिया गया है । इस प्रकार विरूद्ध पक्षकारगण के एनेस्थीसिया दिये जाने के कथनों के संबंध में विरोधाभाष है। हिमांशु सोनी का ऑपरेशन दिनांक–22.12.2010 को होना बताया गया, जो अनुलग्नक ओपी–4 एवं ओपी–5 है । किन्तु परिवादीगण से आपरेशन की सहमति अनुलग्नक ओपी–6 के अनुसार दिनांक 23.12.2010 को ली गई है। विरूद्ध

पक्षकार क्रमांक–3 एवं 4 डॉ गगन झंवर एवं डॉ नितिन गोयल द्वारा प्रश्नावली के उत्तर क्रमांक–6 में दिनांक–23.12.2010 को ऑपरेशन किये जाने का कथन किया है, जो विरोधाभाष है। जबकि विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा हिमांशु सोनी के ईलाज व आपरेशन के संबंध में समस्त चिकित्सकीय परिस्थितियों का स्पष्ट व्याख्या किया जाना चाहिए, जिसका अभाव जवाबदावा में है । इसी प्रकार मृतक हिमांशु सोनी को ऑपरेशन दिनांक–22.12.2010 एवं 23.12.2010 को ऑपरेशन के पश्चात् दिनांक–24.12.2010 Discharge कर दिया गया जबकि विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा कथन किया गया है कि हिमांशु सोनी को स्वस्थ हालात में डिस्चार्ज किया गया, परन्तु इसके विपरीत परिवादीगण का कथन है कि हिमांशु सोनी को ऑपरेशन पश्चात् यूरिन स्पॉट (पेशाब की जगह) में दर्द था फिर भी डिस्चार्ज कर दिया गया, यह तथ्य विवादित है।

यहां पर दूसरा मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हिमांशु सोनी को आपरेशन वाली जगह पर अत्यधिक दर्द होने के कारण दिनांक–26.12.2010 को जीवित अवस्था में विरूद्ध पक्षकारगण के अस्पताल में लाया गया। परिवादीगण ने अपने उक्त अभिवचन के समर्थन में कुशाल बी. अखेनिया एवं भावेश कट्‌टा का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त शपथ–पत्र में हिमांशु सोनी को दर्द से कराहते हुए जीवित अवस्था में लाये जाने का कथन किया गया है । इसका सही निर्णय तभी लिया जा सकता है, जब हिमांशु सोनी को दिनांक–26.12.2010 को अस्पताल में लाया गया तब उसकी स्थिति क्या थी एवं उस समय क्या ईलाज किया गया या जीवन बचाव में क्या प्रयास किया गया। उक्त संबंध में ओ.पी.डी. दर्ज किये जाने वाले दस्तावेज होता परन्तु विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा उक्त संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि किसी भी मरीज को आपातकालीन/ओपीडी में भी भर्ती कराया जाता है तब भी उनका दस्तावेज तैयार किया जाता है कि मरीज को वर्तमान में क्या तकलीफ है उसकी क्या स्थिति है, इत्यादि, परंतु उक्त संबंध में दस्तावेज क्यों तैयार नहीं किया गया विरूद्ध पक्षकारगण ही बता सकते हैं । जबकि यहां विरूद्ध पक्षकारगण का कथन है कि हिमांशु सोनी को जब हॉस्पिटल लाया गया, तब वह मृत अवस्था में था। ऐसी स्थिति में उसे विरूद्ध पक्षकार क्र.5 द्वारा उसे इंजेक्शन क्यों लगाया गया । उक्त संबंध में विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा अपने लिखित वृतांत में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा अपने लिखित वृत्तांत की कंडिका–9 में यह कथन किया गया है कि जब विरूद्ध पक्षकारगण ने हिमांशु सोनी के मृत होने के बाद उसके

परिजनों को दी तब उन्होंने डॉक्टरों से गालीगलौच करना शुरू कर दिया एवं डॉक्टरों को मारने लगे। परिवादीगण का यह कृत्य सीसीटीवी में रिकार्डिंग है। परिवादीगण के उक्त कृत्यों से परेशान होकर सरस्वती नगर थाना में केस दर्ज करवाया गया एवं केस दर्ज होने के कारण सीसीटीवी में रिकार्डिंग वहां जमा किया गया। प्रकरण में सीसीटीवी में रिकार्डिंग एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है किन्तु विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा उक्त सीसीटीवी की कॉपी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया, इसका कोई उल्लेख विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा नहीं किया गया है। यदि सीसीटीवी रिकार्डिंग जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, प्रकरण में प्रस्तुत किया जाता, तो स्पष्ट हो जाता कि जब हिमांशु सोनी को विरूद्ध पक्षकारगण के अस्पताल में लाया गया, उस समय वह जीवित था या मृत । क्योंकि उक्त संबंध में विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा दिनांक–26.12.2010 को जब हिमांशु सोनी को हॉस्पिटल लाया गया उस समय के ईलाज संबंधित कोई दस्तावेज या अस्पताल का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है । जबकि उक्त समस्त दस्तावेज एवं मूल सीसीटीवी की रिकार्डिंग इत्यादि विरूद्ध पक्षकारगण के कब्जे में रहता है, इस प्रकार विरूद्ध पक्षकारगण का उपरोक्त कृत्य संदेह उत्पन्न करता है।

विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा अपने लिखित कथन की कंडिका–13 के दूसरी पंक्ति में कथन किया है कि– "यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–5 द्वारा कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया।" उसी कंडिका की पांचवी लाईन में कथन किया गया है कि– "यहां यह भी स्पष्ट करना और भी उचित होगा कि जिस समय मरीज को अस्पताल में लाया गया था वह मृत अवस्था में था।" इसी प्रकार लिखित तर्क के पेज–3 के अंतिम लाईन में भी विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा कथन किया है कि– **"हिमांशु सोनी जो कि मृत लाया गया इस वजह से कोई इंजेक्शन लगाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।"** तथा यह भी कथन किया है कि **"यह बात विशेष रूप से इंकार किया है कि विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–5 द्वारा उनका ईलाज किया गया और इंजेक्शन लगाया गया ।"** इसका अर्थ यह है कि विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–1 के अस्पताल में हिमांशु सोनी को जब दिनांक–26.12.2010 को लाया गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया ना ही किसी प्रकार का ईलाज किया गया, परंतु इसके विपरीत विरूद्ध पक्षकार क्र.5 अपने प्रश्नावली प्रतिपरीक्षण के कंडिका–4 एवं 23 के उत्तर में कथन किया है कि– "मरीज मृत अवस्था में लाया गया था । मरीज को पुनर्जीवित करने के प्रयास हेतु इंजेक्शन लगाया गया था जिसके लिए अन्य चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता नहीं थी ।" इसका अर्थ है कि विरूद्ध पक्षकार क्र.5 के द्वारा हिमांशु सोनी को इंजेक्शन लगाया गया था। इसी बात का समर्थन डॉ

गगन झंवर के द्वारा प्रश्न उत्तर क्रमांक–20 के प्रश्नोत्तरी में और उत्तर में किया है । उपरोक्त कथन का समर्थन डॉ नितिन गोयल द्वारा किया गया है । विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि हिमांशु सोनी को मृत अवस्था में लाया गया था उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करने के दरम्यान उन्हें इंजेक्शन दिया गया परन्तु लिखित वृत्तांत में उपरोक्त अभिकथन अभिलिखित नहीं किया गया है। इसके विपरीत लिखित वृत्तांत में यह कथन किया गया है कि हिमांशु सोनी मृत अवस्था में लाया गया था, इस कारण उसे इंजेक्शन देने व ईलाज करने का प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा हिमांशु सोनी के ईलाज के संबंध में अनेक विरोधाभाषी कथन किये गये है।

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–5 द्वारा भले ही कथित रूप से हिमॉंशु सोनी को पुनःजीवित करने का प्रयास किया गया, उक्त प्रक्रिया में इंजेक्शन लगाया गया हो, परंतु अपने लिखित वृत्तांत व लिखित तर्क में इंजेक्शन नहीं लगाना दूसरी तरफ प्रश्नावली के उत्तर में इंजेक्शन लगाना यह सब भी आपस में विरोधाभाषी कथन होने के कारण विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा किये कृत्य में संदेह उत्पन्न करता है। डॉ गगन झंवर ने अपने प्रश्नावली के उत्तर क्रमांक–23 में कथन किया है कि मरीज को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि जब उसे अस्पताल लाया गया, तब वह मर चुका था, उक्त कथन भी विरोधाभाषी है ।

उपरोक्त विवेचना से हम यह निष्कर्षित करते हैं कि विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा हिमांशु सोनी के ईलाज संबंधित संपूर्ण दस्तावेज परिवादीगण द्वारा मांग किये जाने के बावजूद प्रदान नहीं किया गया ना ही इस आयोग के समक्ष उचित समय में प्रस्तुत किया गया। विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा अपने आधिपत्य के उक्त दस्तावेजों को इस आयोग के समक्ष अंतिम तर्क के समय प्रस्तुत किया जाना उनकी लापरवाही व दुर्भावना को प्रदर्शित करता है। विरूद्ध पक्षकारगण स्वयं ही सी.सी.टी.वी. रिकार्डिंग को प्रस्तुत करने में असफल रहे जिससे यह प्रमाणित होता कि हिमांशु सोनी दिनांक 26.12.2010 को जब विरूद्ध पक्षकारगण के अस्पताल लाया गया था उक्त दौरान वह जीवित था या मृत था। विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा दिनांक–26.12.2010 को हिमांशु सोनी के ईलाज या हॉस्पिटल में भर्ती के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और न ही कोई साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि हिमांशु सोनी दिनांक 26.12.2010 को अस्पताल लाये जाने के समय मृत अवस्था में था। इस तरह से विरूद्ध पक्षकारगण

अपने बचाव को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। उपरोक्तानुसार विरूद्ध पक्षकारगण का कृत्य अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

परिवादीगण द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि हिमांशु सोनी को आपरेशन उपरांत जब अत्यधिक असहनीय दर्द हुआ तो विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–2 से 4 जिन्होंने हिमांशु सोनी का ऑपरेशन व ईलाज किया था, को बार–बार फोन किया गया, परंतु उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया । जबकि चिकित्सक का कर्त्तव्य है कि वह आपात स्थिति में मरीज को तत्काल सहयोग करे एवं सुविधा प्रदान करें । विरूद्ध पक्षकार क्रमांक–2 से 4 का कर्तव्य है कि हिमांशु सोनी के आपरेशन करने के पश्चात् समाप्त नहीं हो जाता बल्कि आपरेशन उपरांत उसको आवश्यकतानुरूप सलाह दे व सहयोग करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी तथ्य को न्यायदृष्टांत– Najrul Seikh Vs. Dr Sumeet Banerjee and anr., 2024 (2) CPR 12 (SC) में व्याख्या की है जिसके अनुसार–"In case of deficiency of medical services, duty of care does not end with surgery" का सिद्धांत पारित किया है। इस तरह से इस प्रकरण में भी विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा मृतक हिमांशु सोनी के आपरेशन, ईलाज के संबंध में परस्पर विरोधाभाषी कथन किया है एवं आपरेशन उपरांत दिनांक 26.12.2010 को आपात स्थिति में हिमांशु सोनी का सही ईलाज एवं सहयोग न कर सेवा में निम्नता की है साथ ही मृतक हिमांशु सोनी के ईलाज से संबंधित दस्तावेज परिवादीगण को प्रदान न कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। परिणामतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1** का निष्कर्ष हमारे द्वारा सकारात्मक " **हां** " दिया जाता है।

7. हमारे समक्ष उभयपक्ष के अभिकथनों के आधार पर द्वितीय विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि – **(2) क्या परिवादीगण, विरूद्ध पक्षकारगण से परिवाद पत्र में याचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ?**

परिवादीगण ने विरूद्ध पक्षकारगण से चिकित्सकीय उपेक्षा, सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार हेतु क्षतिपूर्ति राशि रूपये 15,00,000/– (पंद्रह लाख रूपये मात्र) की मांग की है। इस आदेश की कंडिका–6 में की गई विवेचना अनुसार यह प्रमाणित है कि विरूद्ध पक्षकारगण ने मृतक हिमांशु सोनी को उचित चिकित्सकीय सेवा प्रदान नहीं कर सेवा में निम्नता की है एवं परिवादीगण द्वारा पश्चातवर्ती समय में हिमांशु सोनी के ईलाज से संबंधित दस्तावेज मांग किये जाने पर उन्हें प्रदान न कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। इस तरह से उपरोक्त क्षतिपूर्ति प्रमाणित होने के कारण परिवादीगण को क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 15,00,000/– (पंद्रह लाख रूपये

मात्र) दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। परिवादीगण ने बार–बार संपर्क करने में हुए कष्ट व पीड़ा हेतु एवं सेवा में निम्नता हेतु अतिरिक्त हर्जाना के रूप में रूपये 3,00,000/– (तीन लाख रूपये मात्र) की मांग की है, जो अत्यधिक है। हमारे मत में उक्त मद में परिवादीगण को रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) एवं अधिवक्ता शुल्क एवं वादव्यय के रूप में रूपये 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) दिलाया जाना उचित होगा। परिणामतः **विचारणीय प्रश्न क्र.2** का निष्कर्ष हमारे द्वारा सकारात्मक **" हां "** दिया जाता है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर हम परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और आदेशित करते हैं कि आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर :–

(अ) विरूद्ध पक्षकारगण, परिवादीगण को रूपये 15,00,000/– (पंद्रह लाख रूपये मात्र), परिवाद दिनांक–26.11.2012 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित अदा करेंगे ।

(ब) विरूद्ध पक्षकारगण, परिवादीगण को उपरोक्त कृत्य के कारण हुई मानसिक कष्ट के लिए रूपये 1,00,000/–(एक लाख रूपये मात्र) अदा करेंगे।

(स) विरूद्ध पक्षकारगण, परिवादीगण को अधिवक्ता शुल्क तथा वादव्यय के रूप में रूपये 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) भी अदा करेंगे ।

Sd/- **(अनिल कुमार अग्निहोत्री)** **सदस्य** जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर (छ.ग.)	Sd/- **(श्रीमती निरूपमा प्रधान)** **सदस्य** जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर (छ.ग.)	Sd/- **(डाकेश्वर प्रसाद शर्मा)** **अध्यक्ष** जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर (छ.ग.)

Pronounced On-28/06/ 2024

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर (छ.ग.)

Free certified copy
Serial No. of the Application 2
Date of receipt of Application
Name of the applicant अरविंद भाई v/s सुयश हॉस्पिटल
Date of disposal 28/6/24
Date of Preparation of copy 01/7/24
Date of dispatch of free certified copy of order
By Hand 05/7/24
By Post

President/Member/Court Superintendent
District Consumer Dispute
Redressal Forum, Raipur (C.G.)

ALLOWED

लल्लूराम .com सच कहेंगे लल्लूराम